न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 82 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/91)

पंजीयन दिनांक– 18.02.2021

निर्णय दिनांक– 06.10.2021

1. श्री राधेश्याम पिता बद्रीलाल सुखवाल, निवासी मंदसौर, तहसील व जिला मंदसौर (मध्यप्रदेश)।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री श्यामकुमार पिता बद्रीलाल सुखवाल, निवासी मंदसौर, तहसील व जिला मंदसौर, (मध्यप्रदेश)।
2. मु. प्रेमलता पुत्री बद्रीलाल सुखवाल, निवासी मंदसौर, तहसील व जिला मंदसौर, (मध्यप्रदेश)।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री रासकुमार शर्मा / श्री चन्द्रशेखर आमेटा – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री पी. सी. पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री मुरलीधर पालीवाल राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध तहसीलदार, गंगरार के प्रकरण संख्या
03 / 2015 निर्णय दिनांक 26.02.2016

निर्णय

दिनांक 06.10.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, गंगरार के प्रकरण संख्या 03/2015 निर्णय दिनांक 26.02.2016 के विरूद्ध दिनांक 31.03.2016 को प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 18.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र मय रजिस्टर्ड वसीयत नामा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र एवं न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 मंदसौर के निर्णय की प्रतिलिपि के साथ इस आशय का पेश किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1/प्रार्थी के पिता बद्रीलाल पिता नगजीराम सुखवाल, निवासी मंदसौर के नाम पर ग्राम खारखंदा, तहसील गंगरार में खाते कब्जे एवं काश्त की भूमि जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता नम्बर 241 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 669 से 676, 679 से 684 एवं 686 से 691 कुल किता 20 रकबा 2.21 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड है, इस भूमि का रजिस्टर्ड वसीयत नामा बद्रीलाल पिता नगजीराम द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1/प्रार्थी एवं उसकी बहिन के नाम प्रेमलता के पक्ष में दिनांक 19.05.2004 को निष्पादित किया जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 1/प्रार्थी के नाम 75 प्रतिशत हिस्सा तथा बहिन प्रेमलता के नाम 25 प्रतिशत हिस्सा वसीयत किया गया है। अतः रजिस्टर्ड वसीयत नामे एवं न्यायालय के निर्णय के आधार पर ग्राम खारखंदा में वर्णित कृषि भूमि का नामांतरण रेस्पोडेंट संख्या 1/प्रार्थी एवं बहिन प्रेमलता के नाम पर खोला जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 03/2015 निर्णय दिनांक

26.02.2016 से रेस्पोडेंट संख्या 1/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 26.02.2016 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः— ***"अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम खारखंदा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ के आराजी खसरा नम्बर 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 686, 687, 688, 689, 690, 691 कुल आराजी किता 20 रकबा 2.21 हैक्टेयर भूमि के खातेदार श्री बद्रीलाल द्वारा उनके पुत्र श्यामलाल एंव उनकी पुत्री प्रेमलता के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड वसीयत नामें के आधार पर श्यामलाल के पक्ष में 75 प्रतिशत हिस्सा यानि कि 3/4 हक एवं प्रेमलता के पक्ष में 25 प्रतिशत यानि कि 1/4 हक खातेदारी में दर्ज कर रेकार्ड में दर्ज किया जावें। तथा तद्नानुसार पटवारी हल्का निर्णय अनुसार रेकार्ड में अमल दरामद करें।"***

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रासकुमार/श्री चन्द्रशेखर आमेटा उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित एवं रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 30.09.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने कथित वसीयत जो अपने आप में एकमात्र सबुत प्रथमदृष्टया नहीं होकर शंकास्पद दस्तावेज है उस पर अति. सिविल जज न्यायालय मंदसौर के निर्णय पर विश्वास कर निर्णय पारित किया है, जो उचित नही है तथा अप्रार्थी को सुनवाई का एवं शहादत

सबुत पेश करने का कोई अवसर नही देकर आदेशिका में यह अंकित कर दिया कि काफी अवसर दिये जा चुके है और बिना तारीख की सूचना दिये ही अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज कर गुणदोष पर विचार किये बगैर ही निर्णय दिया है। वसीयत नामा को न्यायालय में चुनौति दी हुई है और मामला विचाराधीन है, फिर भी कथित वसीयत को मान भी लिया जावें तो भी अपीलांट के हक, अधिकार व हिस्से तक वसीयत निष्प्रभावी रहती है इसके लिए न्यायिक, निर्णयों एवं कानूनी प्रावधानों को नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया है। उक्त वसीयत भी उप पंजीयक मंदसौर के यहां रजिर्स्टड करवाई गई है, जबकि कानूनी प्रावधान एवं न्याय सिद्धांतो के अनुसार जिस तहसील में कृषि आराजीयात स्थित होती है किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री संबंधित तहसील के उप पंजीयक कार्यालय मे ही की जाने पर मान्य होती है। इस सिद्धांतो के अनुसार भी कथित वसीयत शुन्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इतनी जल्दबाजी में निर्णय दिया है कि निर्णय में पक्षकारों का अनवान भी अंकित नही किया है और आलौच्य निर्णय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबुत पर कोई विवरण नही देकर क्षेत्राधिकार से परे निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.02.2016 निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता बद्रीलाल पिता नगजीराम सुखवाल, निवासी मंदसौर के नाम पर ग्राम खारखंदा, तहसील गंगरार में खाते कब्जे एवं काश्त की भूमि जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता नम्बर 241 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 669 से 676, 679 से 684 एवं 686 से 691 कुल किता 20 रकबा 2.21 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड है, इस भूमि का रजिस्टर्ड वसीयत नामा बद्रीलाल पिता नगजीराम द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 एवं उसकी बहिन के नाम प्रेमलता के पक्ष में दिनांक 19.05.2004 को निष्पादित किया जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 1 के

नाम 75 प्रतिशत हिस्सा तथा बहिन प्रेमलता के नाम 25 प्रतिशत हिस्सा वसीयत किया गया है। अतः रजिस्टर्ड वसीयतनामे एवं न्यायालय के निर्णय के आधार पर ग्राम खारखंदा में वर्णित कृषि भूमि का नामांतरण रेस्पोडेंट संख्या 1 एवं बहिन प्रेमलता के नाम पर खोला जाना न्यायोचित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.02.2016 नियमानुसार होकर उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 3 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गंगरार द्वारा दिनांक 26.02.2016 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि प्रकरण में मूलतः वसीयती उत्तराधिकार, प्राकृतिक उत्तराधिकार या प्राकृतिक उत्तराधिकार में से एकल उत्तराधिकार का प्रश्न का विनिश्चयन किया जाना है। प्रकरण में दौराने कार्यवाही अपीलाण्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का आवेदन प्रस्तुत कर न्यायालय चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश, मंदसौर (म.प्र.) का निर्णय दिनांक 16.05.2017 प्रस्तुत किया जिसमें यह विनिश्चित किया गया है कि विवादित भूमियों में अपीलाण्ट वादी के 1/3 हिस्से की सीमा तक विवादित वसीयत निष्प्रभावी है। प्रकरण में रेस्पोंडेण्ट द्वारा उक्त दस्तावेज के विरूद्ध इस प्रथम अपील के निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा ही माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रस्तुत **SA** 402/2017 के आदेश दिनांक 12.12.2018 की प्रति प्रस्तुत की जिसमें पक्षकारान अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 तथा **CMO**, नगर पालिका परिषद, मंदसौर को विवादित जायदाद की यथास्थिति रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं। प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा पेशशुदा प्रथम अपील जो कि अपर जिला न्यायाधीश, मंदसौर द्वारा दिनांक 16.05.2017 को निर्णीत की गयी है, उसमें वसीयत एवं विवादित कृषि आराजीयात जो

उक्त वसीयत में शामिल है, उस बाबत् विवेचन किया जाना प्रासांगिक है तथा इसी प्रकार रेस्पोंडेण्ट द्वारा दिया गया माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय पीठ, इंदौर का आदेश दिनांक 12.12.2018 भी प्रथम अपील के विरूद्ध दिये गये यथास्थिति के आदेश से संबंधित है, जो भी विवादित वसीयत एवं विवादित आराजीयात को लेकर है, तद्नुसार अपीलाण्ट द्वारा पेश किये गये अपर जिला न्यायाधीश, मंदसौर के निर्णय एवं माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय पीठ, इंदौर के आदेश, दोनों प्रासांगिक होने से उन्हें रेकर्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि तहसील, गंगरार स्थित ग्राम खारखंदा की विवादित आराजीयात जो कि मृतक बद्रीलाल के नाम दर्ज थी, उनकी मृत्यु के बाद उनके 3 वारिस पुत्र अपीलाण्ट बद्रीलाल व रेस्पोंडेण्ट श्यामकुमार व प्रेमलता के मध्य बद्रीलाल की उक्त सम्पत्ति के उत्तराधिकार का प्रश्न विचाराधीन है। जहां बद्रीलाल द्वारा पंजीकृत वसीयत से श्यामकुमार व प्रेमलता रेस्पोंडेण्ट को क्रमशः अपनी कृषि आराजीयात में 75 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत हिस्सा दिया गया है, वह राधेश्याम उक्त वसीयत को त्रुटिपूर्ण होना एवं विधि विरूद्ध होना बताता है, अर्थात् प्रकरण में प्राकृतिक उत्तराधिकार या वसीयती उत्तराधिकार को लेकर विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.02.2016 में पंजीकृत वसीयत एवं विचारण न्यायालय अर्थात् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, मंदसौर के निर्णय दिनांक 21.04.2008 जिससे अपीलाण्ट राधेश्याम द्वारा वसीयत को अमान्य करार दिये जाने के वाद को खारिज कर दिये जाने के कारण वसीयती उत्तराधिकार के आधार पर नामान्तकरण खोले जाने का निर्णय दिनांक 26.02.2016 को पारित किया, जिससे रूष्ठ होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि उत्तराधिकार को लेकर प्राकृतिक एवं वसीयती उत्तराधिकार का प्रश्न सिविल न्यायालय में विचाराधीन है तथा प्रथम अपील में तथा

विचारण न्यायालय द्वारा वसीयत की वैद्यता को मान लिया गया। वहीं प्रथम अपीलीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, मंदसौर द्वारा वसीयत को अपीलाण्ट राधेश्याम के 1/3 हिस्से तक अमान्य करार दिया है व श्री राधेश्याम अपीलाण्ट द्वारा ही अपर जिला न्यायाधीश, मंदसौर के निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जहां पर आदेश दिनांक 12.12.2018 द्वारा प्रकरण में उभय पक्षकारों को यथास्थिति बनाये जाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

प्रकरण में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण वसीयती या प्राकृतिक उत्तराधिकार या एकल उत्तराधिकार का प्रश्न सिविल न्यायालय में विचाराधीन है तथा माननीय माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय पीठ, इंदौर द्वारा प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में वसीयत के बारे में सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने एवं माननीय माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय पीठ, इंदौर द्वारा यथास्थिति के आदेश दिये जाने के बाद इस अपील में मृतक के वसीयती उत्तराधिकार या प्राकृतिक उत्तराधिकार या अन्य प्रकार से उत्तराधिकार बाबत् कोई निर्णय किया जाना अनावश्यक वाद बहुलता को पैदा करेगा जो न तो विधिक है, न ही किसी प्रकार से उचित है। ऐसी परिस्थितियों में जबकि माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय पीठ, इंदौर द्वारा उभय पक्षकारान को यथास्थिति रखे जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया है तो हम नामान्तकरण जो कि फिस्कल एवं वित्तीय प्रक्रिया है, उसके बाबत् कोई पृथक निर्णय पारित करें, यह उचित नहीं है क्योंकि वसीयत की वैद्यता का निर्धारण का प्रकरण सिविल न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है एवं स्थगन आदेश प्रचलित है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय का यह दायित्व बनता है कि वह सक्षम न्यायालय द्वारा वसीयत के बारे में कोई विनिश्चयन होना एवं यथास्थिति के आदेशों तक इस प्रकरण में सिविल न्यायालय से पृथक कोई निर्णय नहीं करें। हम न्यायहित में

उपरोक्त समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत इस अपील को वाद बाहुलता को रोकने एवं विधिपूर्ण न्याय तक पहुंचने के लिए इन निर्देशों के साथ निष्पादित करना उचित समझते हैं कि इस प्रकरण के रेस्पोंडेण्ट एवं अपीलाण्ट यानि उभय पक्षकारान माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय पीठ इंदौर के लम्बित प्रकरण **SA** 402/2017 के निर्णय तक विवादित कृषि भूमि की यथास्थिति बनाये रखने तथा माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णयानुसार अथवा उक्त वादकरण के अंतिम निर्णयोपरान्त ही उक्त प्रकरण में मृतक बद्रीलाल की ग्राम खारखंदा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ की कृषि भूमियों का नामान्तकरण निर्णित किया जावें।

उपरोक्त निर्देशों के साथ इस अपील का निष्पादन इस न्यायालय से किया जाता है। तहसीलदार गंगरार को उक्त निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावें।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर